न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1057/2025

अनवान : –

1. वालेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति सैनी निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. भजनलाल पुत्र वासुदेव जाति साहेवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

निर्णय   **दिनांकः** 01/06/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 बी. के. के. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 82/82 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है० भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 4/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता में दर्ज है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 4 बी. के. के. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 82/82 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है० भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 4/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्राथमिक डिकी किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 4 बी. के. के. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 82/82 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है० भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 4/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 वालेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जात सैनी साकिन चक राजासर खातेदार – प0न0 298/427 (13) के किला न0 9/1 की 0.114 हैक्ट

2 भजनलाल पुत्र वासुदेव जाति साहेवाल निवासी नोहर – प0न0 298/427(13) के किला न0 10/2 की 0.020, 9/1 की 0.0126, 12 की 0.253 हैक्ट कुल 0.399 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ....01/06/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1057 / 2025

अनवान : –

1. वालेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति सैनी निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. भजनलाल पुत्र वासुदेव जाति साहेवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1057 सन 2025 निर्णय दिनांक 01/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 4 बी. के. के. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 82 / 82 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का 1 / 5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 4 / 5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 वालेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जात सैनी साकिन चक राजासर खातेदार – प0न0 298 / 427 (13) के किला न0 9 / 1 की 0.114 हैक्ट

2 भजनलाल पुत्र वासुदेव जाति साहेवाल निवासी नोहर – प0न0 298 / 427(13) के किला न0 10 / 2 की 0.020, 9 / 1 की 0.0126, 12 की 0.253 हैक्ट कुल 0.399 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर